## ORDER SHEET 786-2011Rct

IHECOURI	 - A-	 	 -
	7		

Date of order of proceeding	Order or proceeding with singnature of presiding officer	Singnature of parties or pleaders where necessary
19-12-16	राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित। आरोपी अनुपस्थिति। आरोपी को जारी गिरफ्तारी वारण्ट मय पंचनामा अदम् तामील वापस प्राप्त। तामील कुनिंदा प्रधान आरक्षक प्रहलाद शर्मा उपस्थित। उक्त साक्षी के तामील कुनिंदा कथन अंकित किये गये।  प्रधान आरक्षक प्रहलाद शर्मा द्वारा अपने कथन में व्यक्त किया गया कि उसने आरोपी सतीष यादव की तलाश की थी। आरोपी दिये गये पते पर नहीं मिला था। आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना नहीं है। आरोपी पर कोई चल अचल सम्पत्ति नहीं है। अतः आरोपी को प्रकरण में फरार घोषित किया जावे।  ये उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी सतीष्ज्ञ काफी समय से अनुपस्थित है। आरोपी को बार—बार गिरफ्तारी वारण्ट जारी किये जा रहे हैं। परंतु आरोपी का पता नहीं चल रहा है। आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की सम्भावना नहीं है। आरोपी की कोई चल—अचल सम्पत्ति नहीं है। अतः आरोपी को प्रकरण में फरार घोषित किया जाता है। आरोपी सतीष के विरुद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। सही / (प्रतिष्टा अवस्थी) जे०एम०एफ०सी०गोइद जिला भिण्ड म०प्र०	CARTA AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
	ELIKIEN POR	

